न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी लक्ष्मीकांत मीना (आर.ए.एस.)

	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मिसल नं. 252/प्रा0पत्र/2024 (आनलाईन 2024/223)	28.11.2024	16.12.2024

मैसर्स ओएसिस ग्रीनफ्यूल प्राईवेट लिमि0 जर्ये:– ऑथोराईज बाबूलाल चौधरी आ0 जगन्नाथ राम जाति जाट नि0 ग्राम पोस्ट सिवार जिला जयपुर (राजस्थान)

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तालेडा

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क (1) आर.टी. एक्ट

उपस्थित अभिभाषक:–

अभिभाषक प्रार्थी :– श्री हिम्मत सिंह
अभिभाषक अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (1) राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0स0 1891/1882 रकबा 0.2583 है0 एवं ख0स0 1893/970 रकबा 2.3335 है0 ग्राम ठीकरिया कलां पटवार मण्डल बाजड़ एवं ख0स0 1262/1114 रकबा 1.0760 है0 वाके ग्राम जलोदी पटवार मण्डल बाजड़ मे स्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमियो के मध्य ग्राम जलोदी पटवार मण्डल बाजड मे राजकीय सिवायचक भूमि ख0स0 775/882 रकबा 0.1862 है0 स्थित है। प्रार्थी को अपनी ग्राम जलोदी व ग्राम ठीकरियाकलां मे विस्थित खातेदारी भूमियो पर पहुँचने हेतु ग्राम जलोदी की राजकीय सिवायचक भूमि मे से गुजरना पडता है। वर्तमान मे प्रार्थी की खातेदारी भूमियो के मध्य सुनिश्चित मार्ग उपलब्ध नही होने के कारण प्रार्थी द्वारा खातेदारी भूमियो के मध्य आवागमन हेतु ग्राम जलोदी पटवार मण्डल बाजड मे स्थित राजकीय सिवायचक भूमि ख0स0 775/882 रकबा 0.1862 है0 किस्म नहरी ा मे से 30 फीट चौडा नवीन रास्ता प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त करने हेतु तहरीर जारी की गई।

प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में प्रतिवादी तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जर्ये पत्रांक 4559 दिनांक 09.12.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ख0स0 778 गे.मु.सड़क जो कि ग्राम जमीतपुरा से ग्राम ठीकरियाकलां तक जाती है इसमे ग्राम जलोदी के ख0स0 1260/1113, ख0स0 1261/1114 किस्म गे.मु.रास्ता के लगवा राजकीय सिवायचक भूमि ख0स0 775/882 मे से रास्ता/पहुँचमार्ग आवेदित किया गया है उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे ग्राम ठीकरियाकलां के ख0स0 1892/970 किस्म गे.मु.रास्ता मे मिलता है। ग्राम जलोदी की सिवायचक भूमि ख0स0 775/882 मे से प्रस्तावित रास्ता ग्राम ठीकरियाकलां मे स्थित भूमि ख0स0 1893/970, ख0स0 1891/1882 मे पहुँच हेतु चाहा गया है। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र मे प्रस्तावित रास्ता सिवायचक ख0स0 775/882 रकबा 0.1862 है0 किस्म नहरी ा खाता सरकार मे होकर प्रस्तावित है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता पहुँच हेतु नही है। रास्ते की लम्बाई 20 मीटर गुणा चौडाई 10 मीटर कुल 200 वर्गमीटर (0.0200 हैक्ट0) है संलग्न नजरी नक्शे अनुसार प्रस्तावित की गई है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (1) राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तहत अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कृषि भूमि पर रेकार्ड में रास्ता नही होने एवं कृषि भूमि पर कृषि कार्य एवं उपकरण इत्यादि की पहुंच हेतु रास्ता लिया जाना महती आवश्यकता है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट से भी होती है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण की आराजी कृषि भूमि पर पहुँच हेतु नियमानुसार तहसीलदार तालेड़ा को रास्ता सृजन करने के लिए आदेश फरमावें।

प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जिस प्रकार प्रार्थना पत्र मे कथन अंकित कर रास्ता चाहा गया है उसे दिया जाना न्यायोचित है रिपोर्ट तहसीलदार तालेड़ा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर पहुँच हेतु दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जो कि अधिकतम 30 फिट चौडाई का दिया जाना उचित होगा।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थी की आराजी पर पहुँच हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव प्रकट है एवं प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का है तथा नियमान्तर्गत होने से वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

परिणामतः वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं. ख0स0 1891/1882 रकबा 0.2583 है0 एवं ख0स0 1893/970 रकबा 2.3335 है0 ग्राम ठीकरिया कलां पटवार मण्डल बाजड़ एवं ख0स0 1262/1114 रकबा 1.0760 है0 वाके ग्राम जलोदी पटवार मण्डल बाजड तहसील तालेडा में सिंचाई प्रयोजन/पहुँच के लिए खातेदार राजस्थान सरकार की ग्राम जलोदी मे स्थित राजकीय सिवायचक भूमि आराजी ख0सं0 775/882 रकबा 0.1862 हैक्टे. में से लम्बाई 20 गुणा चौडाई 9.144 (30 फिट) = 183 वर्गमीटर यानि 0.0183 हैक्टे. भूमि संलग्न नक्शानुसार नया मार्ग सृजित किया जाता है। तहसीलदार तालेड़ा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में ''गे.मु.रास्ता'' के रूप में अभिलिखित किया जाये तथा रास्ता का सीमांकन किया जाये। राजस्व अभिलेखों में उक्त रास्ता दर्ज करने से पूर्व प्रार्थी से कुल भूमि 0.0183 हैक्टे0 की एवज में वर्तमान डी.एल.सी. की दुगुनी राशि नियमानुसार राजकोष मे तहसीलदार तालेड़ा के माध्यम से जमा किया जावे तत्पश्चात राजस्व रेकार्ड मे रास्ता अभिलिखित किया जावें। प्रार्थी रास्ते के रूप मे दर्ज होने वाली भूमि का उपयोग रास्ते के रूप मे ही करेंगा, उक्त रास्ते पर कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेगा। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार तालेड़ा एवं प्रार्थी को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मीकांत मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा